School of Economics

Class - M.A. IInd sem. CBCS

Sub. - Rural Dev.

Teacher - Dr. Dharmendra singh

Topic's - Panchayat Raj Act's

Unit No. - 485

24.4.2020 - स्थानीय स्वशासन

25.4.2020 - पंचायतों की समितियाँ

26.4.2020 - पंचायतराज अधिनियम 1993 के तहत पंचायतों का गठन

27.4.2020 - पंचायतराज अधिनियम 2001 के तहत पंचायतों का गठन

28.4.2020 - पंचायतराज अधिनियम 1985 के तहत पंचायतों के कार्य

29.4.2020 - पंचायतराज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्य

30.4.2020 - पंचायतराज अधिनियम 1993 के तहत पंच के कर्तव्य एवं दायित्व

भारत में यह वर्गीकरण इसलिये किया गया क्योंकि भारत एक विशाल देश है । इस देश की लगभग तीन–चौथाई (72.22%) जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो देश तथा राज्य की राजधानियों से दूर–दराज क्षेत्रों में स्थित हैं । अतः संविधान ने भारत में मुख्य रूप से संघीय व्यवस्था को तीन स्तरों पर बांटा है । इस व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर केन्द्रीय सरकार । इसे ही संघ सरकार कहते हैं ।

संघीय व्यवस्था में प्रत्यक राज्य में अलग सरकार होती है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं । इनके बाद तृतीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन आता है इसका संबंध तथा सम्पर्क छोटे–छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से होता है ।

स्थानीय स्वशासन :–

भारत जैसे लोकतांत्रित देश में स्थानीय स्वशासन ही ग्रामीण भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सकता है । स्थनीय स्वशासन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला, नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिये करते हैं । डी. टाकविले ने स्थानीय स्वशासन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति स्थानीय संस्थाएं होती हैं, एक राष्ट्र स्वतंत्र शासन की स्थापना कर सकता है, किंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतंत्रता की भावना नहीं रह सकती है ।"[3]

स्थानीय स्वशासन के दो मुख्य तत्व हैं प्रथम स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था करता है । द्वितीय स्थानीय जनता के योगदान से सरकार की जानकारी बढ़ती है और वह अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। जिला प्रशासन के अधिकतर अधिकारी प्रशासनिक सेवाओं से चयनित सदस्य होते हैं

और प्रायः वे उस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होते हैं, जहां वे कार्य करते हैं और न ही वे स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं । ऐसी स्थिति में स्थानीय समस्याओं की उन्हें न तो पर्याप्त जानकारी होती है और न ही वे स्थानीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित होते हैं । ऐसी स्थिति में उनकी विचारधारा में स्थानीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति कोई जुड़ाव स्थापित नहीं हो पाता है । प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यस्थल में भी परिवर्तन (स्थानान्तरण) होता रहता है । ऐसी स्थिति में शहरों में काम करते हुए, प्रशासनिक सुख–सुविधाओं का उपयोग करते हुए उनकी विचारधरा में ग्रामीण क्षेत्र तथा उसकी समस्याओं के प्रति कोई प्रभावशाली सकारात्मक विचार नहीं आ पाते है। इस वैचारिक भिन्नता के कारण तथा शहरी वैभवशाली पृष्ठभूमि से जुड़े होने के कारण वे ग्रामीण क्षेत्र के समस्याओं के प्रति उचित विचारधारा नहीं रख पाते हैं । ग्रामीणों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की उन्हें स्थानीय जानकारी नहीं होती है, लेकिन वे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को निर्धारित तथा संचालित करते हैं । ऐसी स्थिति में विकास की धारा गांवों तक जाते–जाते लुप्त हो जाती है ।

गांव की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य समस्याओं की जानकारी उसी व्यक्ति को हो सकती है जो स्थानीय परिवेश का हो । ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही गांव की संपूर्ण स्थिति से वाकिफ होता है । उसे गांव की पूरी–पूरी स्थिति तथा संरचना की जानकारी होती है । वह ग्रामीणों की दुख तकलीफों को स्वयं महसूस कर सकता है, इसलिये आत्मनिर्भरता के लिए उन समस्याओं का निराकरण भी स्थानीय ग्रामीण परिवेश वाला व्यक्ति ही कर सकता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आत्मनिर्भरता को ही ग्राम की उन्नति का मूल मंत्र मानते थे । उनके अनुसार "स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होना चाहिये और प्रत्येक गांव का अपना स्वराज होना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिये और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना होगा ताकि वह सम्पूर्ण प्रबंध स्वयं ही चला सके ।"[4]

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को संचालित करने तथा आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय शासन अनिवार्य है। क्योंकि सुदूर तक फैले ग्रामीण परिवेश के कारण प्रत्येक गांव में सरकारी अफसर तथा सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते हैं । अतः प्रत्येक गांव में विकास कार्यों को सुचारू तथ प्रभावशाली तरीके से संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय शासन स्थापित किया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में "स्थानीय शासन से तात्पर्य ऐसी संस्था है जो प्रतिनिधित्व तो सरकार का करती है । लेकिन उसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है । इस संस्था का संचालन, नियमन स्थानीय ग्रामीण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा संचालित किया जा रहा है । ग्राम पंचायतों मे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीण स्तर पर वे सभी कार्य करती हैं जो एक सरकार के उत्तरदायित्व माने जाते हैं ।"[5]

भारत के संविधान के अनुसार भारत की जनता के समग्र विकास के लिए सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व तय किये गये हैं । इनका निर्वाह मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है ।

ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें तथा जिला पंचायत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों स्थानीय शासन का प्रतिनिधित्व करती है । ये संस्थाऐं गांवों में साफ–सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रकाश, पेयजल आदि की व्यवस्था करते हुए ग्रामीण जनता की आर्थिक प्रगति के कार्य कर रही हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबधी कार्य पंचायतों के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था के तहत किये जा रहे हैं । वर्तमान पंचायत राज प्रणाली भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 10 वर्ष बाद प्रारंभ की गई इसके लिए श्री बलवंत राय मेहता समिति स्थापित की गई । इस समिति ने स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायत राज की सिफारिश की, जिससे कि ग्रामीण प्रशासन को और अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान

किया जा सके । पंचायत राज से विकास योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके । इसलिए स्थानीय शासन को ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार योजनाओं, आवास योजनाओं गरीबी उन्मूलन, अन्य विकास योजनाओं का संपूर्ण लाभ सीधे–सीधे ग्रामीण जनता को ही मिले । अतः स्थानीय ग्रामीण जनता का राज होना आवश्यक है । पंचायत राज वह प्रशासनिक व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास का कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के रूप में कार्य कर रही हैं, जिससे कि अग्रलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके ।

1. पंचायत राज के माध्यम से सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से कर सकती है ।
2. पंचायत राज एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास क लिए ही संचालित की जा रही है । ग्रामीणों की, ग्रामीणों के द्वारा निर्वाचित लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रतिनिधि कार्य रहे हैं ।
3. पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण जनता का प्रत्यक्ष सम्पर्क सरकार से स्थापित हो गया है । ग्रामीण जनता को अब अपने विकास के कार्यों के लिए प्रदेश की राजधानी के अफसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है ।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विकासात्मक कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा उन्हें वहां प्रभावशाली तरीके से संचालित करने के लिए ग्राम पंचायतें ही अपरिहार्य है ।
5. गांव की गरीब जनता को आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व है । गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाओं में ही ग्रामीण विकास निहित है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए इन सभी सुविधाओं को अधिकतम मात्रा में उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय संस्था ही सफल हो सकती है । अतः प्रदेश सरकार ग्रामीणों को मानव संसाधन के रूप में विकसित करने का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंप दिया है ।